

प्रेषक - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़ ।

3

61

7

सेवा में,

प्रबन्धक

विश्व कर्म आधुनिक विद्यालय परिषद् पाड़ा, उत्तरांचल
जिला - अलीगढ़ ।

पत्रांक : शि0स0/ 310 /2000-2001 दिनांक 29/5/2000

विषय - अशासकीय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता हिन्दी माध्यम से प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में मान्यता समिति के प्रस्ताव दिनांक 27/5/2000 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को अशासकीय प्राथमिक विद्यालय स्तर पर केवल कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता हिन्दी माध्यम से इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है ।

किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नगत विद्यालय की स्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा ।

प्रतिबन्ध

1. शासकीय/विभागीय नियमों/निर्देशों के अनुरूप ही विद्यालय संचालित किया जाये और राष्ट्रीय पुस्तकें ही पढ़ाई जायें ।
2. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायें ।
3. विभागीय नियमानुसार ही शुल्क लिया जाये ।
4. विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय अभिलेख प्रस्तुत किये जायें ।
5. सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण समय पर ही कराया जाये ।
6. खेल मैदान/भवन की उपयुक्त व्यवस्था की जाये ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

पृष्ठांकन सं0/शि0स0/मान्यता/ 310 /2000-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप वि0नि0/नगर
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग अधिकारी, अलीगढ़

भवदीय

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,
विश्व कर्मा उ०मा०वि०,
टप्पल, अलीगढ़

पत्रांक:

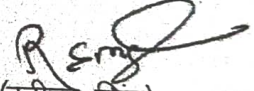
विषय:

महोदय,

1634(2) /मान्यता/2011-12 दिनांक- 23-12-2011
पूर्व से मान्यता प्राप्त उ०मा०वि०/इण्टर कालेजों को अंग्रेजी माध्यम
की कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या: 1028/15-7-10-1(75)/2010 दिनांक- 09
जून, 2010 तथा संख्या: 1271/15-7-10-1(199)/2010 दिनांक- 09 जून,
2010 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम- 1921 के अधीन निर्मित परिषद
विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-8, अध्याय तेरह के विनियम-7 तथा
अध्याय चौदह के विनियम-6 में किये गये संशोधन के क्रम में विश्व कर्मा
उ०मा०वि० टप्पल अलीगढ़ को कक्षा-06 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षा
संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्तवत में संस्थाधिकारियों द्वारा यदि
कोई तथ्य छिपाया गया हो और बाद में प्रकाश में आने पर यह अनुमति पत्र
स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारियों का
होगा।

भवदीय


(रवीन्द्र सिंह)

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

पृष्ठा०सं०:

/मान्यता/2011-12 दिनांक- उक्तवत।

प्रेषित-

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।


Manager

Vishwakarma Sr. Sec. School
Tappal, Aligarh

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

रजिस्टर्ड

64

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

विश्वकर्मा उ०मा०

विद्यालय, टप्पल

अलीगढ़

पत्रांक : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) 1203

मेरठ : दिनांक 10-6-2005

विषय : सीधे/हाई स्कूल तबीन की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या 9334/15-7-04-482056/2004

दिनांक 23 मार्च 2005

द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा

अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था विश्वकर्मा उ०मा० विद्यालय टप्पल अलीगढ़

को इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के प्रावधानों की प्रबन्ध तंत्र द्वारा बिना शर्त अंगीकार करने की इच्छा में बालक/व्यक्ति विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2007 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (बनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

क० प० उ०

Manager

Vishwakarma Sr. Sec. School
Tappal, Aligarh

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
विश्वकर्मा इण्टर कालेज,
टप्पल अलीगढ़

दिनांक—

पत्रांक : आई0वी0/मेरठ/मान्यता/

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा-7 क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय विश्वकर्मा इण्टर कालेज, टप्पल अलीगढ़ को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-7 क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-1987 की धारा-7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता/पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-1987 की धारा-7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा। विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

Manager

Vishwakarma Sr. Sec. School
Tappal, Aligarh

कृ०प०उ०

(ग) प्रतिभूत(जमानत) की धनराशि रू0 10000=00 (रू0 5000=00 प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 25/2006 मंजू अवस्थी एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

वर्ग

प्रदत्त मान्यता का विवरण

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

इण्टर मानविकी -
भूगोल, गृहविज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, समाजशास्त्र,

इण्टर वैज्ञानिक -
वर्ग नवीन

एवं
हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान

टिप्पणी - उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर कियें जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या: आई0वी0/मेरठ/मान्यता/ 799-1

दिनांक- 14-06-2016

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 2 संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़
- 3 संभागीय उप शिक्षा निदेशक, अलीगढ़
- 4 इण्टर परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
- 5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,
विश्व कर्मा उ०मा०वि०,
टप्पल, अलीगढ़

पत्रांक:

७६११(२) /मान्यता/2011-12 दिनांक-23.12.2011

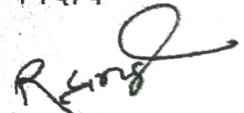
विषय:

9-10 की सीधे मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों को कक्षा- 6 से 08 की
कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 1139/15-7-11-1(06)/2011 दिनांक-15
जुलाई, 2011 के द्वारा परिषद के विनियमों के अध्याय सात के विनियम- पांच
(18) अ के संशोधित विनियम (घ) के बाद जोड़े गये विनियम (ड) के प्राविधानों
के अन्तर्गत विश्व कर्मा उ०मा०वि० टप्पल, अलीगढ़ अलीगढ़ को कक्षा- 06 से
08 तक की कक्षा संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है
कि संस्था में जूनियर स्तर पर 03 शिक्षण कक्ष एवं 01 प्रयोगशाला अनिवार्य रूप
से उपलब्ध हो तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम- 1921 के प्रावधानों के
अधीन हाईस्कूल का भाग मानी जायेगी। उक्तवत में संस्थाधिकारियों द्वारा यदि
कोई तथ्य छिपाया गया हो और बाद में प्रकाश में आने पर यह अनुमति पत्र
स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारियों का
होगा।

भवदीय



(रवीन्द्र सिंह)

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

पृष्ठा०सं०:

/मान्यता/2011-12 दिनांक- उक्तवत।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।

Manager

Vishwakarma Sr. Sec. School
Tappal, Aligarh

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़

प्रेम,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

66

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

शिक्षा १७१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2005

विषय:-

विश्वकर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टप्पल अलीगढ़ की हाईस्कूल सीधे 9-10 की मान्यता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये

विश्वकर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टप्पल अलीगढ़ को यदि संबंधित विद्यालय का प्रबंधन प्रस्ताव पारित करके इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम, 1987 की धारा 7(क) के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार करता हो तो वर्ष 2007 की परीक्षा से हाईस्कूल सीधे 9-10 की मान्यता प्रदान कर दी है ।

2- उक्त मान्यता के मिलाने से संलग्न विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबंधों/शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो तो एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्थाधिकारियों को उन शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जायें । मान्यता पत्र निर्गत करने से पूर्व संस्था से वित्तविहीन मान्यता अंगीकार करने का प्रत्यक्ष एवं प्राप्ति/सुरक्षित कोष पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय ।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाय।
भवदीय,

॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
संयुक्त सचिव ।

पृ० सं० एवं दिनांक तद्वि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 3- क्षेत्रीय सचिव, मा० शिक्षा परिषद, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ ।
- 4- गार्ड बुक ।

Manager
Vishwakarma Sr. Sec. School
Tappal, Aligarh

आज्ञा (१)
॥ शिव प्रकाश गुप्त ॥
संयुक्त सचिव ।